

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 19.01.2023

हत्या के अभियोग संबंधित 04 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना देल्हूपुर)

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14.12.2022 को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तौकलपुर में जमीन विवाद/आपसी पुरानी रंजिश हुई मारपीट में एक व्यक्ति के घायल हो जाने संबंधित प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना देल्हूपुर में मु0अ0सं0 93/22 धारा 147, 148, 149, 307, 323,504, 506 भादवि बनाम 09 नामजद व 04-05 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 16.01.2023 को दौरान उपचार एसआरएन अस्पताल, प्रयागराज में उपरोक्त घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 302 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई थी।

उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा टीम गठित कर संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये। इसी क्रम में कल दिनांक 18.01.2023 को थानाध्यक्ष देल्हूपुर श्री धीरेन्द्र ठाकुर, उ0नि0 श्री राकेश चौरसिया मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों की वर्तमान स्थिति मुम्बई, महाराष्ट्र पाये जाने पर उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार मुम्बई पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

- 1 - इमरान पुत्र असीर निवासी तौकलपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
- 2 - सलमान पुत्र असीर निवासी तौकलपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
- 3 - गुफरान पुत्र असीर निवासी तौकलपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
- 4 - मुजीब पुत्र इबरार निवासी करवई थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम - थानाध्यक्ष देल्हूपुर श्री धीरेन्द्र ठाकुर, उ0नि0 श्री राकेश चौरसिया मय हमराह थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

चोरी का एक स्टेबलाइजर के साथ 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना महेशगंज)

जनपद के थाना महेशगंज से उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ विवेचना के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0सं0 12/23 धारा 357, 480 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्त 01. आशुतोष मिश्रा उर्फ गोलू पुत्र कन्हैयालाल उर्फ लल्लन 02. राजेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र रामसुमेर

मिश्रा उर्फ बड़कू नि0गण खरैल का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के ग्राम फतूहाबाद से अभियोग से संबंधित चोरी की एक स्टेबलाइजर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में अभियोग उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम:-

01. आशुतोष मिश्रा उर्फ गोलू पुत्र कन्हैयालाल उर्फ लल्लन नि0 खरैल का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
02. राजेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र रामसुमेर मिश्रा उर्फ बड़कू नि0 खरैल का पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी:- चोरी का एक स्टेबलाइजर।

पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव मय हमराह थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

अवैध शस्त्र व कारतूस, के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना मान्धाता)

कल दिनांक 18.01.2022 को जनपद के थाना मान्धाता से उ0नि0 अनुज यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र मान्धाता के कस्तूरबा आवाशीय विद्यालय ग्राम टिकरी के पास से एक बिना नम्बर मोटर साइकिल सहित 02 व्यक्ति 01. आशीष कुमार पुत्र भगवती प्रसाद नि0 अकोढ़िया थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ के पास से एक अदद नाजायज तमन्चा 12 बोर 02 अदद 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर 02. ओम प्रकाश पुत्र सीतारात यादव नि0ग्राम मेहकनी कटरा मेदनीगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मान्धाता पर क्रमशः मु0अ0सं0 11/2023 धारा 3/25 आम्स एक्ट बनाम आशीष कुमार व मु0अ0सं0 12/2023 धारा 3/25 आम्स एक्ट बनाम ओम प्रकाश का अभियोग पंजीकृत किया गया है। तथा मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. आशीष कुमार पुत्र भगवती प्रसाद नि0 अकोढ़िया थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।
02. ओम प्रकाश पुत्र सीतारात यादव नि0ग्राम मेहकनी कटरा मेदनीगंज थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

- 01 01 अदद अवैध तमन्चा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
- 02 01 अदद अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 03 प्लेटिना मोटर साइकिल बिना नम्बर (सीज धारा 207 एमवी एक्ट)।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अनुज यादव मय हमराह थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना बाघराय)

जनपद के थाना बाघराय के उ0नि0 श्री व0उ0नि0 राधेबाबू व उ0नि0 श्री जगदीश प्रसाद वर्मा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान अ0सं0 394/90 धारा 25 आम्स एक्ट, मु0न0 203/20 धारा 323, 504 व मु0अ0सं0 13/ 2000 धारा 323, 324, 506 भादवि से संबंधित कुल 04 वारण्टी अभियुक्त को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टी का विवरण:-

01. छोटेलाल पुत्र रामकिशोर शुक्ल नि0 शुक्लपुर, कासीपुर डुबकी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
02. श्रीमती आरती देवी पत्नी सुरेन्द्र सरोज कासीपुर डुबकी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
03. ननकू राम पुत्र बदलराम नि0 शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।
04. जगेश्वर पुत्र महावीर राम नि0 शकरदहा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:- उ0नि0 श्री व0उ0नि0 राधेबाबू व उ0नि0 श्री जगदीश प्रसाद वर्मा मय हमराह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।